

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
पश्चिम क्षेत्रीय समिति



National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)
Western Regional Committee

F. No. WRC/WRCAPP1393 (Increase in Intake)/180/MP/2013/ 101540

Date: 18. 3. 13

To,

The Principal,
RAJEEV GANDHI COLLEGE,
PLOT/KHASARA NO.72/7,
VILL. KHANPURA, P.O. /TEH. RAISEN,
DISTRICT: RAISEN- 464551,
MADHYA PRDESH

Sir/Madam,

I am to inform you that the case of your institution was placed before WRC in its 180th meeting held from February 25-26, 2013 and the Committee observed that "in this case legal opinion has been received. According to which Hibanama is a valid legal document. However, the institution has requested that they want to withdraw the application for the additional intake for D.El.Ed. course but no resolution of the Society has been received for withdrawal of the course. Hence, resolution of the Society be obtained from the institution."

In view of the above, you are requested to clarify with supporting documents within 30 days, of the issue of this letter.

It may be noted that in the event this office does not receive any representation within 30 days it will be presumed that you do not wish to make any representation, and the Western Regional Committee shall take decision as it deems fit and proper.

Yours faithfully,

(Sunil Shrivastava)
Regional Director

Copy to: CHOUHAN EDUCATION SOCIETY, PLOT NUMBER: D-288, STREET/ROAD: NEHRU NAGAR,
VILLAGE/TOWN/CITY: KOTRA, POST OFFICE: KOTRA, TEHSIL/TALUKA: BHOPAL, DISTRICT: BHOPAL-
462016, MADHYA PRDESH

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

हिबनामा (मेमोरण्डम)

G 323976

यह हिबा मेमोरण्डम लिख देने वाले:- श्री हकीम उद्दीन आत्मज श्री शेख सिकन्दर आयु व्यस्क निवासी वार्ड नं 2 रायसेन तहसील रायसेन जिला रायसेन आप चौहान एज्युकेशन सोसायटी (पंजीयन क्रमांक 665/91) जो कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन पंजीकृत है, द्वारा संचालित राजीव गांधी महाविद्यालय, सांची रोड रायसेन को द्वारा अध्यक्ष श्री संदीप चौहान आयु लगभग 47 वर्ष वल्द श्री राम पाल सिंह चौहान निवासी 64-ए अमलतास फेस बूनाभट्टी भोपाल के पक्ष में जबानी हिबा का मेमोरण्डम निम्नानुसार लिख देते हैं कि:-

1. यह कि मेरी मालकी एवं कब्जे की भूमि कुल रकबा 1.00 एकड़ (कुल रकबा दो एकड़ में से) जिसका खसरा नम्बर 12/7 है, स्थित ग्राम खानपुरा, पटवारी हल्का नम्बर 15, तहसील रायसेन जिला रायसेन में स्थित है। जिसे मैंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23/05/2001 ग्रंथ क्रमांक 346 सरल क्रमांक 1285 के तहत विधिवत रूप से कय किया था। चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार है :-

पूर्व में - सांची रोड
पश्चिम में - वन विभाग की भूमि
दक्षिण में - अल्ताफ बेग की भूमि
उत्तर में - सुशील सिंह की भूमि

2. यह कि उक्त भूमि पर तीन निर्मित भवन जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 1663.20 , 1405.23 , 28.00 एवं 187.20 वर्ग मीटर कुल निर्मित क्षेत्र 3294.13 वर्ग मीटर है।
3. यह कि आप चौहान एज्युकेशन सोसायटी भोपाल द्वारा संचालित राजीव गांधी महाविद्यालय, सांची रोड रायसेन जिसके के बडे ही नेक उद्देश्य है, जैसे समाज में शिक्षा को विकसित करना एवं निरक्षरता दूर करना तथा सामाजिक उत्थान तथा बच्चों एवं महिलाओं को तकनीकी पाठ्यक्रमों तथा कम्प्यूटर की शिक्षा आदि देना है।

निरन्तर.....2.....

हकीम उद्दीन

Sandeep

Sandeep Chauhan
(Chairman)
Chauhan Education Society



हकीम उददीन आ० शोखा सिकन्दर / व्ही. एस. चौहान
स्पेशल सौसायटी

2215
100
8.7.9

~~श्रीवास्तव~~
~~रायसेन~~

DISTRICT TREASURY
KAIPHY

~~...~~

~~...~~

~~...~~

4. यह कि आप (सोसायटी/महाविद्यालय) जो कि इतने अच्छे/नेक उद्देश्यों को साकार करने हेतु मेहनत एवं लगन से कार्यरत होकर सोसायटी द्वारा संचालित राजीव गाँधी महाविद्यालय, साँची रोड रायसेन के इस नेक, नियति एवं खिदमात से काफी प्रभावित एवं खुश हूँ तथा जिसके कारण मेने दिनांक 21/9/09 को ईद-उल-फितर के मौके पर अपने परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में अपने स्वामित्व की उक्त संपत्ति भूमि एवं उस पर निर्मित समस्त भवन को चौहान एज्यूकेशन सोसायटी पंजीयन क्रमांक 665/91 (राजीव गाँधी महाविद्यालय साँची रोड रायसेन) के पक्ष में मुस्लिम पर्सनल ला के अनुसार जबानी हिबा करके दे दिया उक्त सम्पत्ति पर समिति की ओर से उसके अध्यक्ष की हैसियत से श्री संदीप चौहान उक्त सम्पत्ति को जबानी हिबा से प्राप्त करना स्वीकार किया तथा उसका कब्जा भी मैंने उनको दे दिया जो उन्होंने सोसायटी की ओर से प्राप्त किया तथा तब से उक्त सोसायटी (राजीव गाँधी महाविद्यालय साँची रोड रायसेन) उपरोक्त वर्णित भूमि एवं भवनों की मालिक काबिज हो गई है और तब से ही मालिक की हैसियत से उसका उपयोग एवं उपभोग यह सोसायटी करती आ रही है और तब से उक्त भूमि एवं भवनों पर मेरा किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार नहीं रहा।

यह कि मेरे द्वारा किया गया जबानी हिबा पर भविष्य में कोई आपत्ति या शंका न करे तथा आपको सामांतरण कराने या उक्त भूमि एवं भवनों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का व्यवहार करने में कोई विरोध उत्पन्न न होवे इस कारण मेरे द्वारा किये गये जबानी हिबा की तस्दीक में यह हिबा नामा का मेमोरण्डम में निष्पादित कर रहा हूँ।

दिनांक :- 21.09.2009

हकीम उद्दीन
(हकीम उद्दीन)

श्री हकीम उद्दीन ने उपर चरण क्रं. 01 में उल्लेखित व चतुःसीमा वाली भूमि को दिनांक 21.09.2009 को चौहान एज्यूकेशन सोसायटी (राजीव गाँधी महाविद्यालय साँची रोड रायसेन) को जबानी हिबा किया था जो कि समिति की ओर से मुझे श्री संदीप चौहान अध्यक्ष की हैसियत से जबानी हिबा में लेना स्वीकार किया था तथा मैंने उसका समिति (राजीव गाँधी महाविद्यालय साँची रोड रायसेन) को कब्जा भी दे दिया था, जो मैंने सचिव श्री संदीप चौहान की हैसियत से प्राप्त किया था तब से उक्त समिति (राजीव गाँधी महाविद्यालय साँची रोड रायसेन) उक्त भूमि एवं भवनों पर मालिक काबिज होकर उसका मालिकाना उपयोग एवं उपभोग कर रहा हूँ।

दिनांक :- 21.09.2009

गवाह:-

हस्ताक्षर

1. सै. साजिद अली
निवासी ई.8/42 भारत नगर भोपाल
तह.हुजूर व जिला भोपाल

हस्ताक्षर

2. रमेशसिंह राधव आ. श्री वाय.एस. राधव
निवासी बार्ड क्रं. 4 रायसेन तह. व
जिला रायसेन

This document is executed
in my presence by within
attested

NOTARY
INDIA

Subodh Kumar Saxena
Notary and Advocate
Raipur (M.P. India)

Shaghar
IDENTIFIED BY
Ramesh Singh
Vaidya